

हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

संख्या: EXN-F(1)-1/2017

दिनांक

Excise & Taxation Deptt.
Dy. No. 8193
06 MAY 2017
Himachal Pradesh
07 अप्रैल, 2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पंजाब पूर्णगठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तर्गत राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्ससाईज एक्ट, 1914 (1914 का 1) जो कि हिमाचल प्रदेश एक्ससाईज एक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, की धारा 31 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समय-समय पर यथा संशोधित, पंजाब एक्ससाईज फिस्कल आर्डरज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त आर्डरज" कहा गया है) में सात अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

The existing order 1 shall be substituted by the following, namely:-

"1. The following shall be the rates of Excise Duty, Manufacture, Export fee and other levies on the excise able articles w.e.f. 1.4.2017 :-

Sr. No.	Kind of Spirit	Rate (In Rs.)
1.	Import Fee:- Import fee only on Bottled IMFS, imported from outside the State of Himachal Pradesh with EDP upto Rs. 2000/- per case shall be levied as under :- (a) Foreign Liquor including Indian Made Foreign Spirit (except beer)	Rs. 20.00 per proof litre

ADDL. ETC (HQ)/(TRU)
JL ETC (ADMN/HQ/IT/D)
DY. ETC (HQ/LEGAL)
DY./ASST. CONTROLLER
AETC (TAX/EXCISE/EIU)
ETC (HQ/EIU) CPDT G-1
P6/PA/READDER/COMP. CELL

EXCISE & TAXATION COMMISSIONER
HIMACHAL PRADESH

5-5-17

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि । तारीख शिमला-2,

07 अप्रैल, 2017

आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हि0प्र0 शिमला-9 ।
2. अतिरिक्त/संयुक्त/उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, दक्षिण क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र, शिमला, मण्डी एवं पालमपुर, हि0प्र0 ।
3. उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, उड़न दस्ता, दक्षिण क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र, परवाणु, ऊना एवं पालमपुर, हि0प्र0 ।
4. समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

S.P.A. (Ex)